न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 47/2019
दायर दिनांक :– 28.06.2019

अनवान

श्री मुन्ना खां पठान पुत्र श्री बुन्दु खां पठान नि. जहाजपुर हाल मु. गुलनगरी सांगानेरी गेट, भीलवाडा

वादी..........

बनाम

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. श्रीमान जिला कलक्टर, भीलवाडा

प्रतिवादीगण...........

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री अमित बिडला, एडवोकेट वादी

:: निर्णय :: दिनांक 08.09.2021

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम खेराडिया माताजी का खेडा प. ह. कुराडिया तह. जहाजपुर की आ0 न0 1620/2 रकवा 4.11 बीघा भूमि स्थित है। उक्त खातें में वादी खातेदार का नाम मुनू खां पुत्र श्री बुन्दु खां लिखा हुआ है, उक्त नाम वादी का घर का नाम है तथा बाद में सभी रेकार्ड में वादी का सही नाम मुन्ना खां पठान पुत्र श्री बुन्दु खां पठान है तथा मुनू खां व मुन्ना खां पठान मुझ वादी का ही नाम हैं तथा उक्त दोनो ही नाम का मै एकमात्र व्यक्ति हूँ। लेकिन समस्त रेकार्ड में मुझ वादी का नाम मुन्ना खां पठान लिखा हुआ है। इसलिये खातें में भी मुनू खां के बजाए मुन्ना खां पठान किया जाना न्यायोचित है। वादी कस्बा जहाजपुर का निवासी है तथा वर्तमान में भीलवाडा में वकालत का व्यवसाय करने के कारण भीलवाडा में गुलनगरी सांगानेरी गेट भीलवाडा में निवास कर रहा हूँ तथा जहाजपुर आता जाता रहता हूँ तथा अपनी आराजी पर काश्त करता चला आ रहा हुँ । तथा जहाजपुर में मेवाती मोहल्ला में मेरा पुश्तैनी मकान है। जमाबन्दी में वादी का नूनू खां पुत्र बुन्दु खां के बजाए मुन्ना खां पठान पुत्र श्री बुन्दु खां करना न्यायोचित हैं ताकि वादी सभी सरकारी लाभाशं प्राप्त कर सकें वादी के सभी रेकार्ड जिसमे मार्कशीट, बिजली का बिल, आधार कार्ड, पहचान पत्र,

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

पेन कार्ड तथा बार कौंसिल ऑफ राजस्थान का सर्टिफिकेट एवं बैंक की पासबुक मे वादी का नाम मुन्ना खां पठान पुत्र बुन्दु खां दर्ज है। इसलिये उक्त वर्णित कृषि भुमि को राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम मुनू खां पुत्र श्री बुन्दु खां के बजाए मुन्ना खां पठान पुत्र बुन्दु खां पठान दुरूस्त किये जाने की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादर पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उपस्थित हो अवगत कराया की वादी का राजस्व रेकार्ड में जो नाम दर्ज है में वर्तनी सम्बन्धी त्रुटि है जिसे दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाना वादी के हित एवं न्याय सम्मत है। ऐसा कर दिये जाने से राजहित प्रभावित नही होता है।

वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी संवत 2068–71 की नकल, आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, मार्कशीट की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सर्टिफिकेट की प्रति, बिजली के बिल प्रस्तुत किये जो पत्रावली में संलगन है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है की वादी का नाम मुन्ना खां पठान पुत्र बुन्दु खां पठान है। वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम मुन्ना खां पठान अंकित है। लेकिन वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुन्ना खां पठान के बजाय मुनू खां हो गया। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 से होती है। जिसमें वादी का नाम मुनू खां अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का नाम मुनू खां पुत्र श्री बुन्दु खां के बजाए मुन्ना खां पठान पुत्र बुन्दु खां पठान किया जाना सही होने से वादी के वाद पत्र को न्यायालय स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि ग्राम खेराडिया माताजी का खेडा प. ह. कुराडिया तह. जहाजपुर की आ0 न0 1620/2 रकबा 4.11 बीघा में वादी का नाम मुनू खां पुत्र श्री बुन्दु खां के बजाए मुन्ना खां पठान पुत्र बुन्दु खां पठान नाम शुद्ध किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner